



2026:AHC:284

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2683, वर्ष 2025

अरविन्द शर्मा
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र सिंह, संतोष कुमार
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी तथा भूमि प्रबन्ध समिति की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ल को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें कलेक्टर, मऊ को यह आदेश दिया जाए कि वे ग्राम: विग्रहपुर, डाकघर: दुबारी, जिला: मऊ के गाटा संख्या **6216, 6562, 6563** पर प्रतिवादी संख्या **6** द्वारा किए गए निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं; यह कार्रवाई या तो यू.पी. राजस्व संहिता, **2006** के प्रासंगिक प्रावधानों जिसे यू.पी. राजस्व संहिता नियम, **2016** के साथ पढ़ा जाए के तहत, अथवा 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति (क्षति निवारण) अधिनियम' के तहत, माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर की जाए।"

(ii) कोई भी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और सही समझे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) रिट याचिका (पीआईएल) का खर्च याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया जाए।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 19.09.2025 को राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
4. दिनांक 19.09.2025 के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी मधुबन, मऊ द्वारा प्रेषित दिनांक 10.11.2025 के निर्देश को अभिलेख पर लिया जाता है।
5. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार तिवारी ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह निवेदन किया कि ग्राम दुबारी (विग्रहपुर), जिला: मऊ में चकबंदी की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9A(2) के अंतर्गत एक आपत्ति, जिसका वाद नंबर 202454155156032406 (रामदुलारे बनाम राज्य) है, चकबंदी अधिकारी के समक्ष लंबित है और इस कार्यवाही में अगली तारीख 13.11.2025 निर्धारित की गई थी।
6. मैंने निर्देशों में, साथ ही प्रस्तुत जनहित याचिका में किए गए अभिकथन पर विचार किया है।
7. चूंकि गाँव: दुबारी (विग्रहपुर), परगना: नथूपुर, तहसील और थाना: मधुबन, जिला: मऊ में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किए गए निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए कलेक्टर को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की प्रार्थना वाली जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
8. इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
9. अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

5 जनवरी 2026

नीतू